मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

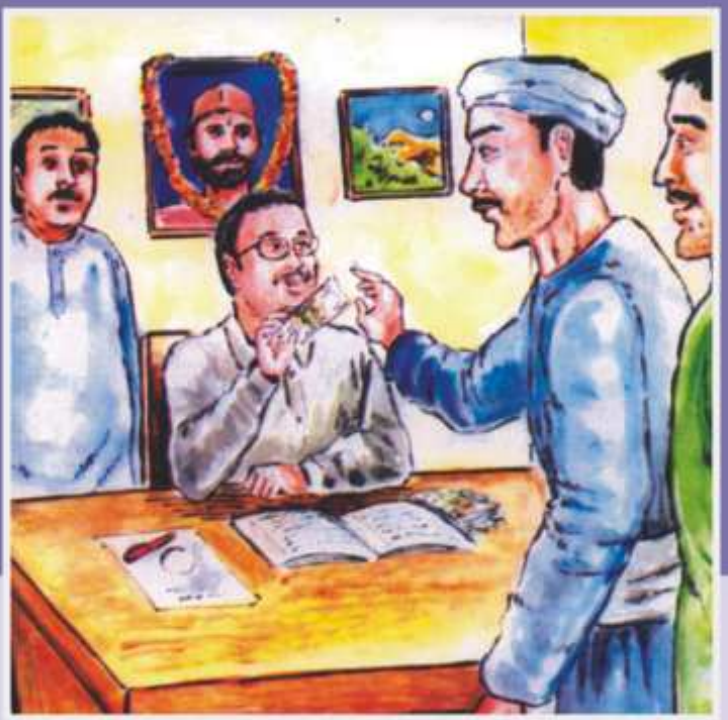

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

मजदूरी का अर्थ

काम के बदले में दी जाने वाली रकम को मजदूरी कहते हैं। निम्नलिखित भी मजदूरी की परिभाषा में आते हैं –

1. न्यायालय के आदेश या समझौते के तहत दी गई रकम।
2. अतिरिक्त समय, या छुट्टी में किये गए काम के लिए दी गई रकम।
3. बोनस या इस तरह की कोई भी रकम।
4. मजदूर की सेवाएं समाप्त होने पर उसे दी गई रकम।
5. किसी कानून या उसके तहत बनाई गई किसी योजना के अन्दर दी गई रकम।

निम्नलिखित मजदूरी में नहीं आता है

1. कोई बोनस, चाहे किसी लाभ में हिस्सा देने की कोई योजना के अन्दर हो या कोई अन्य भुगतान जो काम पूरा होने पर मिलने वाली मजदूरी का हिस्सा न हो।
2. कोई भी आवास, बिजली, पानी, दवाई या अन्य सुविधाएँ या किसी ऐसी सेवा का मूल्य जो राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत मजदूरी से अलग रखी गई हो।
3. पेंशन या भविष्य निधि में मालिक का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज।
4. कोई भी यात्रा भत्ता, या यात्रा में छूट।
5. किसी मजदूर को उसके काम की प्रकृति के अनुसार दिया जाने वाला अतिरिक्त पैसा।

   उदाहरण : जैसे किसी मजदूर को किसी विशेष मशीन चलाने में होने वाले खतरे के लिए जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता हो।
6. सेवाएं समाप्त होने पर मजदूर को मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपदान) आदि।

मजदूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार है

प्रत्येक मालिक अपने मजदूर को मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है लेकिन कुछ जगहों पर (ठेका श्रमिकों को छोड़कर) नीचे दिये हुए व्यक्ति मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार होंगे –

1. कारखानों में कारखानें का प्रबन्धक।
2. औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में वह व्यक्ति जो वहाँ पर निरीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
3. रेल में (कारखानों को छोड़कर) काम करने वाले व्यक्तियों का नियोजक यदि रेल प्रशासन है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति।

मजदूरों को मजदूरी देने का समय

1. किसी रेलवे, कारखाने, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान में जहाँ पर एक हजार से कम व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ पर मजदूरी देने के लिए निश्चित किए गए दिन के 7 दिन के अन्दर मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। बाकी जगहों पर 10 दिन के अन्दर।
2. प्रतिष्ठान के बन्द होने के कारण नौकरी से निकाले जाने पर मजदूरी का भुगतान निकाले जाने के दूसरे दिन हो जाना चाहिए।

मजदूरी काल का अधिकतम समय 30 दिन होगा। मजदूरी–काल का मतलब उस समय सीमा से है जिसके बाद मजदूर, मजदूरी पाने का हकदार हो जाता है।

मजदूरी में कटौती : मजदूरी में से कटौती इस अधिनियम के अनुसार की जाएगी। मजदूर द्वारा मालिक या उसके एजेन्ट को दी गई रकम कटौती मानी जाएगी।

अधिनियम के अनुसार मजदूरी में से कटौती के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

1. जुर्माना
2. काम पर न आने की वजह के लिए
3. मजदूर की देखरेख में रखे गए माल या पैसे में हुए नुकसान के लिए।
4. मालिक, सरकार, या किसी आवास बोर्ड द्वारा दी गई रहने की सुविधा के लिए।

5. मजदूर द्वारा दिये जाने वाले आयकर के लिए।
6. न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी के आदेश के अन्तर्गत।
7. व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियन) की फीस के लिए।
8. बीमा पॉलिसी के लिए।
9. मजदूर की भलाई के लिए बनाए गए फंड के लिए।

जुर्माना

1. मजदूर पर किसी भी काम के करने या न करने की वजह से तब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसे जुर्माना को लगाने के लिए मालिक ने राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से जुर्माना लगाने के लिए पहले से अनुमति न ले ली हो। और ऐसे कामों की सूची जिन पर जुर्माना लगाया जाएगा उसकी सूचना प्रतिष्ठान या रेल के संबंध में (कारखाने को छोड़कर) किसी उचित जगह पर न लगायी गई हो।
2. कोई भी जुर्माना तब तक नहीं लगाया जायेगा जब तब तक उस व्यक्ति को जुर्माने के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।
3. किसी एक मजदूरी–काल में लगाया गया जुर्माना मजदूर को उस काल में मिलने वाली मजदूरी के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
4. 15 साल से कम उम्र के मजदूर पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।
5. जुर्माना किस्तों में या 60 दिन के बाद वसूल नहीं किया जा सकता है।
6. जुर्माना उस दिन लगाया माना जाएगा जिस दिन मजदूर ने गलती की हो।

काम से गैरहाजिर रहने के लिए की गई कटौती

काम करने वाले स्थान पर होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति किसी हड़ताल या किसी अन्य अनुचित कारण से काम करने

से इंकार करता है, तो उसे गैर हाजिर माना जाएगा। गैर हाजिरी के लिए की गई कटौती, गैर हाजिरी के समय से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

नुकसान या हानि के लिए कटौती

मजदूरी में की गई कोई भी कटौती मजदूर द्वारा किए गए नुकसान या हानि की रकम से अधिक नहीं होगी। कटौती करने से पहले मजदूर को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सेवाएं प्रदान करने के कारण कटौती

मजदूरी में से घर की सुविधा या अन्य सुविधाओं के लिए कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक मजदूर ने ऐसी सुविधाओं के लिए अपनी सहमति न दी हो। ऐसी कटौती की रकम सुविधा के लिए मिलने वाली रकम से अधिक नहीं होगी।

एडवांस में लिए गए पैसे की कटौती

काम से पहले लिए गए एडवांस (अग्रिम राशि) पैसे की वसूली के लिए कटौती पहली मजदूरी में से ही की जाएगी, परन्तु यात्रा के खर्च के लिए दिए गए एडवांस की कोई वसूली नहीं की जाएगी। काम के शुरू होने के बाद लिए गए एडवांस की वसूली राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

दिए गए ऋण की वसूली के लिए कटौती

ऋणों की वसूली के लिए कटौती राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

निरीक्षक : राज्य सरकार इस अधिनियम के नियमों को लागू करने के लिए, निरीक्षक नियुक्त करेगी।

मजदूरी में की गयी कटौती या दिये जाने में हुई देरी के लिए माँग व विवाद की सुनवाई के लिए अधिकारी

- श्रम न्यायालय, या
- औद्योगिक अधिकरण का अधिकारी, या
- कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, या

- दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश।

कटौती या मजदूरी देने में हुई देरी के विरूद्ध आवेदन कौन कर सकता है।

मजदूरी में से कोई कटौती की गई हो या मजदूरी देने में देरी हुई हो, वहाँ पर निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं –

- मजदूर खुद, या
- उसकी ओर से कोई वकील, या
- कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ (रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन), या
- निरीक्षक (इंस्पेक्टर), या
- अधिकारी से अनुमति लेने के बाद कोई अन्य व्यक्ति।

ऐसे मामलों में आवेदन पत्र एक साल के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए परन्तु अगर आवेदनकर्त्ता, प्राधिकारी या अधिकारी को आवेदन करने में हुई देरी के लिए कोई उचित कारण बता देता है, तो आवेदन पत्र एक साल के बाद भी दाखिल किया जा सकता है।

मजदूरी में की गयी कटौती या दिये जाने में हुई देरी के लिए माँग व विवाद की सुनवाई की प्रक्रिया और अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश

नियुक्त किया गया अधिकारी आवेदन करने वाले व्यक्ति और मालिक या मजदूरी देने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का समय देगा, और सुनवाई के बाद निम्नलिखित आदेश दे सकता है–

- कटौती की रकम को मजदूर को वापस करने का आदेश।
- मालिक को तुरन्त मजदूरी देने का आदेश

इसके अलावा, अधिकारी मजदूर को मुआवजा भी दिलवा सकता है।

जहाँ पर मालिक को जानबूझकर परेशान करने के लिए आवेदन किया गया हो, वहाँ पर अधिकारी आवेदनकर्त्ता पर 50 रूपये तक का जुर्माना कर सकता है।

मजदूरी देने में हुई देरी के लिए मालिक को निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा अगर देरी किसी –

- कानूनी गलती या मजदूरी की रकम से सम्बन्धित विवाद के कारण हुई हो।
- आपात कालीन स्थिति के कारण, या किसी असाधारण परिस्थितियों के कारण हुई हो।
- मजदूर द्वारा पैसा प्राप्त करने के लिए किये गये आवेदन में या पैसा लेने में की गई गलती से हुई देरी के लिए।

अगर सभी मजदूर एक ही प्रतिष्ठान में काम करते हैं और समान समय और कारण के लिए उनकी मजदूरी में से कटौती की गई हो या मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो, तो वह सभी मजदूर एक साथ एक हीं आवेदन कर सकते हैं।

अपील

आवेदन के खारिज होने के 30 दिन के अन्दर लघुवाद न्यायालय के समक्ष अथवा जिला न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है।

निम्नलिखित स्थितियों में निदेशक, मालिक या अन्य व्यक्ति जो मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं, अपील कर सकते हैं –

- अगर मजदूरी और मुआवजे की रकम 300 रूपये से अधिक है। या
- अगर न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत उन पर 1,000 रूपये से अधिक की आर्थिक जिम्मेदारी डाली गई हो।

अगर किसी एक मजदूर द्वारा माँगी गई मजदूरी की राशि 20 रूपये से अधिक हो या समूह में माँगी गई मजदूरी 50 रूपये से अधिक हो, तो आवेदनकर्त्ता अपील कर सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए सजा

1. कोई व्यक्ति जो मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं, और वह

इस अधिनियम के अन्दर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 200 रूपये से 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

2. **मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि –**

- मजदूरी देने का समय निर्धारित नहीं करता, या
- निर्धारित समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करता, या
- जुर्माना से प्राप्त राशि को मजदूरों के हित में नहीं लगाता, या
- इस अधिनियम की मुख्य बातों को संक्षिप्त रूप से प्रादेशिक भाषा में कार्यस्थल पर प्रदर्शित नहीं करता।

तो उसे अधिक से अधिक 500 रूपये का जुर्माना हो सकता है।

- मजदूर को गलत जानकारी या जानकारी न देने पर 200 से 1,000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक को जानबूझकर उसके कर्त्तव्य का पालन करने से रोकता है, तो उसे 200 रूपये से 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि कोई व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किये हुए दिन तक मजदूर को मजदूरी नहीं देता है, तो उसे प्रत्येक उस दिन के लिए जिस दिन तक मजदूरी नहीं दी जाती 100 रूपये के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।

मजदूर की मृत्यु होने पर उसकी मजदूरी का भुगतान

यदि किसी मजदूर की मृत्यू हो जाती है तो उसकी मजदूरी निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को दी जाएगी –

- मजदूर द्वारा नामित व्यक्ति को।
- जहाँ पर किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया हो तो यह रकम सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा कर दी जाएगी।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in